सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-319
06/08/2017

सबसे जरूरी चीज है रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना :– मुख्यमंत्री

पटना, 06 अगस्त 2017 :– आज श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित 'टेली लॉ : मेन स्ट्रीमिंग लिगल एड थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर' कार्यक्रम का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बहुत खुशी की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा बिहार पधारे है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके है। अभी जैसे कि भारत सरकार के कानून मंत्री ने ऐलान किया कि न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। यह गर्व की बात है कि पहले बिहार के राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने और अब बिहार के मुख्य न्यायाधीश रह चुके न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि टेली लॉ कार्यक्रम में समय निकालकर शामिल होन के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।उन्होंने कहा कि टेली लॉ के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंदों को कानूनी सहायता मिलने में सुविधा होगी। कॉमन सर्विस सेंटर एवं पारा लिगल वोलेंटियर के माध्यम से कमजोर तबके के व्यक्ति भी जो कानूनी सहायता चाहते है उन्हें आसानी से कानूनी सहायता मिल पायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दौर में टेली माध्यम का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि आई0टी0 से कार्यों में पूरी पारदर्शिता आयेगी तथा सबकों सहायता मिलेगी। उन्होंन कहा कि बिहार में कॉमन सर्विस सेंटर की तरह सुविधा केन्द्र की शुरूआत पहले भी की जा चुकी है। परंतु उसकी परिकल्पना उस तरह से नहीं है जैसा आज के कॉमन सर्विस सेंटर का है। आज कॉमन सर्विस सेटर के माध्यम से लोगों को अनेक प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस माध्यम से लोगों सुविधा को उपलब्ध कराने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि कानूनी सलाह उपलब्ध कराने के लिए ऐसे 500 कॉमन सर्विस सेंटर विधि मंत्रालय द्वारा खोले जा रहे है। मैं केन्द्रीय कानून मंत्री से आग्रह करता हूँ कि इसकी संख्या और बढ़ाई जाये तथा पूरे बिहार मे यह फैला हो। उन्होंने कहा कि इससे टेक्नोलॉजी के प्रति लोगों के मन में आकर्षण बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में छह करोड़ मोबाइल फोन है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के प्रति लोगों में काफी रूचि है। टेक्नोलॉजी के जरिये लोगों को सेवा प्रदान करने में काफी सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सेवा उपलब्ध कराने के लिये बिहार में 2010 में लोक सेवा अधिकार की शुरूआत की गयी। इसके तहत लोगों को सेवा मिलना शुरू हो गया। इससे पहले लोगों को आवासीय, जाति, चरित्र प्रमाण पत्र आदि के लिये कितना चक्कर लगाना पड़ता था। बिहार में इस कानून को लागू किया गया। सेवा यात्रा के दौरान हमने विभिन्न जिलों में जाकर इसके क्रियान्वयन को देखा। आज लोगों को विभिन्न सेवायें मिलने में कोई समस्या नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि सेवा को उपलब्ध कराने की अवधि को भी घटाया गया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ–साथ लोगों के शिकायतों के निष्पादन के लिये

लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून लागू किया गया, इसके तहत लोगों की शिकायतों का समाधान किया जाता है, इसमें अपील का भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे जरूरी चीज है रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना। उन्होंने कहा कि हम सभी चीजों का लगातार अध्ययन करते रहते हैं। अध्ययन के क्रम में यह बात सामने आयी कि प्राप्त होने वाले शिकायतों में भूमि विवाद लगभग साठ प्रतिशत है। अगर भूमि विवाद के समस्याओं का समाधान किया गया तो समाज में शांति आ जायेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिये नये सिरे से सर्वेक्षण कराया जा रहा है। पुराने सारे दस्तावेजों को अपडेट कर डिजिटाइज कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में न्यायिक क्षेत्र में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पहले भी कई इनिशियेटिव लिये गये हैं। इनमें एक है लोक अदालतों का आयोजन। उन्होंने कहा कि 2016 से अब तक लोक अदालत के माध्यम से चार लाख से ज्यादा मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये राज्य सरकार की तरफ से जो भी सहायता एवं राशि की जरूरत होगी, उसे तुरंत उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि पटना उच्च न्यायालय के भवन के विस्तार के लिये राज्य सरकार द्वारा 169 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत की गयी तथा इस पर कार्य हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में लाभार्थियों के बीच डायरेक्ट बेनिफीट ट्रांसफर का प्रयोग पहले से किया जा रहा है। बालिका साइकिल योजना का उदाहरण देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत शुरू से साइकिल खरीदने के लिये छात्र–छात्राओं को पैसे नकद दिये जाते थे। उन्होंने कहा कि बालिका साइकिल योजना के फलस्वरूप स्कूलों में लड़कियों की संख्या एक लाख 70 हजार से बढ़कर नौ लाख हो गयी है। उन्होंने कहा कि अब बैंकों के जरिये राशि छात्रों को दी जायेगी। इसके साथ–साथ अन्य सभी छात्रवृति योजनाओं तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ भी लाभार्थियों को बैंक के माध्यम से दी जायेगी, इसकी शुरूआत की जा चुकी है। बैंक खातों को आधार कार्ड से भी जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को टेली लॉ सुविधा उपलब्ध कराने के लिये मैं बधाई देता हूँ। इससे पारदर्शिता आने वाली है। मैं पारा लिगल वॉलेंटियरों के उत्साह को देखकर काफी खुश हूँ। उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अधिक से अधिक राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि लोक शिकायत कानून से भी कॉमन सर्विस सेंटर को जोड़ने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाई। टेली लॉ के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को जल्दी न्यायिक सहायता मिल जायेगी, यह बहुत बड़ी बात है।

आयोजित कार्यक्रम में टेली लॉ से संबंधित पुस्तिका का विमोचन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं अन्य अतिथियों द्वारा किया गया।

इसके अलावा न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, केन्द्रीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, बिहार के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन ने भी समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहित सभी अतिथियों को नाल्सा की तरफ से प्रतीक चिह्न भेंट किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति अजय त्रिपाठी, न्यायमूर्ति रविरंजन, विधि एवं न्याय मंत्रालय की सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा सहित अन्य वरीय न्यायाधीश, अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

******